उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

सं०-वे०आ०-1–622/दस-12–28(एम)-2007
लखनऊ : दिनांक 6 जून, 2012

इस अनुभाग के पत्र सं०-वे०आ०-1–1176/दस-2011-28(एम)-2007, दिनांक 18 नवम्बर, 2011 के सन्दर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1(3)/2008 संस्था–II(ख), दिनांक 20 अप्रैल, 2012 की (हिन्दी व अंग्रेजी) प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2012 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

1–समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4–इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

5–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।

मनोज कुमार जोशी,
संयुक्त सचिव।

संख्या-वे०आ०-1–622(1)/दस-12-28(एम)-2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3– प्रभारी, निकनेट सैल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
4– वित्त (सामान्य) अनुभाग–3।

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी,
संयुक्त सचिव।

सं०1(3)/2008–संस्था–II(ख)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01-01-2012 से लागू महंगाई भत्ते की दरें ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 के समसंख्यक का०ज्ञा० का हवाला देने का निदेश हुआ है, जो केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, जिन्होंने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमानों में अपना वेतन आहरित करना जारी रखा है, के संबंध में 01-07-2011 से महंगाई भत्ता संशोधित किये जाने के संबंध में है।

2–केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 01-01-2012 से मौजूदा 127 प्रतिशत से बढ़कर 139 प्रतिशत हो जाएंगी । दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 के समसंख्यक का०ज्ञा० में दी गई अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

3–इस कार्यालय ज्ञापन की मदों को केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार कर चुके मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले संगठनों के ध्यान में भी लाया जाय।

आज्ञा से,

सुभाष चन्द,

उप सचिव, भारत सरकार।

सेवा में,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

(ii) प्रति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।